सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

A6
7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 23/12

1.वीनाकुमारी धर्मपत्नी स्व0 श्री इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी भूप कालौनी, एस एस बी मैन रोड़, श्री गंगानगर।
2.जितेन्द्र तनेजा
3.अमित तनेजा पिसरान स्व0 श्री इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी भूप कालौनी, एस एस बी मैन रोड़, श्री गंगानगर।

– अपीलार्थीगण

बनाम

1.तोती बाई पत्नी श्री मदन लाल पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी 505 अग्रसैन नगर, श्री गंगानगर।
2.मीनाकुमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल मुटनेजा पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी नई धान मण्डी, घड़साना
3.रानी देवी पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी चक 9 पी एस तह0 रायसिंहनगर।
4.कुसुम पत्नी श्री दर्शन लाल पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा निवासी चक 9 पी एस तह0 रायसिंहनगर।
5.स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.05.2012 तहसीलदार, (भू0अभि0),रायसिंहनगर।

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री हरजीतसिंह जौली, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 4
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5

आदेश **दिनांक : 29—09—15**

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि तहसील रायसिंहनगर के चक 9 पीएस का मु0 नं0 58 कि0 नं0 1 से 25 मय खाला में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 1.581 है0 व इसी चक का मु0 नं0 53 का कि0 नं0 11 ता 25 में 3.163 है0 कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी अपीलांटस की सास एवं दादी श्रीमती भगवानीबाई पत्नी स्व0 श्री केसरदास के नाम दर्ज रिकार्ड थी। चक 9 पी एस का प0 नं0 183/281 मु0 नं0 58 के किला नं0 1 से 25 बीघा भूमि के संबंध में एक विभाजन का वाद उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट सं0 1 व 2 की मृत्यू दिनांक 18—3—12 को हो चुकी है। श्रीमती भगवानी बाई के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान उनके तीन पुत्र दर्शन लाल, चन्द्रप्रकाश एवं दो पुत्रियॉ तोती बाई एवं मीनाकुमारी हैं। उक्त वारिसान में से इन्द्रप्रकाश का देहान्त हो चुका है। श्रीमती भगवानी बाई द्वारा अपने जीवनकाल में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

कभी कोई वसीयत नहीं की गई है। ना ही भगवानी बाई अपने जीवन के अन्तिम पॉच वर्षो में वसीयत करने में सक्षम थी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 ने दर्शन लाल व चन्द्रप्रकाश के साथ दुर्भिसंधि कर, आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए श्रीमती भगवानी बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर ली और उक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती भगवानी बाई के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों सही की जॉच किए एवं राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। अपीलकृत आदेश बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में यह तथ्य अंकित किया गया है कि दिनांक 7–5–12 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई है, लेकिन अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–5–12 को पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि भगवानीबाई के पॉच वारिस हैं एवं तथाकथित वसीयत में भी इन्द्रप्रकाश का नाम लिखा हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्द्रप्रकाश के वारिसान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट को भी सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वसीयत का स्टाम्प श्रीकरणपुर से लिया गया है जबकि वसीयत रायसिंहनगर में लिखी गई है। तथाकथित वसीयत में ही विभाजन कर दिया गया है तथा इन्द्रप्रकाश के वारिसान अपीलांटस को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करने एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। भगवानी बाई 91 वर्ष की वृद्व महिला थी एवं विगत पॉच वर्षो से शुगर हाई ब्लडप्रेशर, गठिया रोग एवं मानसिक रोग से पीड़ित थी। वह न तो चल फिर सकती थी और न ही पहचान सकती थी। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व लैण्ड रिकार्ड रूल्स की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलाधीन 3.163 है0 कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी अपीलांटस की सास एवं दादी श्रीमती भगवानीबाई पत्नी स्व0 श्री केसरदास के नाम दर्ज रिकार्ड थी। चक 9 पी एस का प0 नं0 183/281 मु0 नं0 58 के किला नं0 1 से 25 बीघा भूमि के संबंध में एक विभाजन का वाद उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट सं0 1 व 2 की मृत्यू दिनांक 18–3–12 को हो चुकी है। श्रीमती भगवानी बाई के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान उनके तीन पुत्र दर्शन लाल, चन्द्रप्रकाश एवं दो पुत्रियॉ तोती बाई एवं मीनाकुमारी हैं। उक्त वारिसान में से इन्द्रप्रकाश का देहान्त हो चुका है। श्रीमती भगवानी बाई द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नहीं की गई है क्योंकि भगवानी बाई 91 वर्ष की वृद्व महिला थी एवं विगत पॉच वर्षो से शुगर हाई ब्लडप्रेशर, गठिया रोग एवं मानसिक रोग से पीड़ित थी। वह न तो चल फिर सकती थी और न ही पहचान सकती थी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 ने दर्शन लाल व चन्द्रप्रकाश के साथ दुर्भिसंधि कर, आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए श्रीमती भगवानी बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर ली और उक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती भगवानी बाई के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों सही की जॉच किए एवं राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया । अपीलकृत इंतकाल एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। छपे छपाये फार्म पर पारित किया गया है। वसीयत कर स्टाम्प श्रीकरणपुर से लिया गया है जबकि वसीयत रायसिंहनगर में लिखी गई है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश भू राजस्व अधिनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर बी जे 2009 पेजइ 312 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व लैण्ड रिकार्ड रूल्स की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश में यह तथ्य अंकित किया गया है कि दिनांक 7–5–12 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई है, लेकिन अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–5–12 को पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि भगवानीबाई के पॉच वारिस हैं एवं तथाकथित वसीयत में भी इन्द्रप्रकाश का नाम लिखा हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्द्रप्रकाश के वारिसान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की ज़ाकर अपीलकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रस्तुत अपील को सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपीलाधीन इंतकाल स्वीकार किया है इसलिए धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील सुनने का अधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अपीलाधीन इंतकाल वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है – अपीलांटस को वसीयत को निरस्त कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के संबंध में आपति बाबत सूचना अखबार में प्रकाशित करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने उक्त बहस के जवाब में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अखबार में गलत छपवाया है। आमजन को अखबार के माध्यम से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अनुसार 3–5–12 से 4–5–12 की तारीख पेशी साक्ष्य हेतु रखी गई थी जबकि दिनांक 4–5–12 को निर्णय पारित कर दिया गया। दिनांक 7–5–12 को सूचना अखबार में प्रकाशित हुई है जिसमें भूमि का विवरण गलत दिया गया है। दिनांक 8–5–12 को गवाहान के शपथ पत्र प्राप्त किए गए हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4–5–12 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की तमाम कार्यवाही विधिसम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी चन्द्रप्रकाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसकी माता भगवानी बाई द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत की गई थी। उसकी माता का देहान्त हो गया है। अतः वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–4–12 को प्रिन्टिड आदेशिका में प्रार्थी का नाम पता व भूमि का विवरण अंकित करते हुए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराए जाने का आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 3–5–12 की पेशी के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

लिए नियत की गई। दिनांक 3–5–12 की आदेशिका के अनुसार कोई साक्ष्य पेश न होने के कारण पत्रावली दिनांक 4–5–12 की पेशी में नियम की गई। दिनांक 4–5–12 की पेशी पर प्रिन्टिड आदेशिका में विवरण अंकित करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना संबंधित पक्षकारों की सुनवाई व साक्ष्य सुनिश्चित किए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 26–4–12 के दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन हुआ है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किया गया है। यही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब दिनांक 4–5–12 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया था तो दिनांक 8–5–12 को श्री दर्शन लाल व श्री सुरेन्द्र गोयल जो वसीयत के गवाहान थे, उनके शपथ पत्र वसीयत के सत्यापन के सबंधित में निर्णय के बाद प्राप्त कर शामिल मिसल किए गए हैं, जो विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होते हैं। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिसम्मत् प्रक्रिया अपनाये तथा बिना संबंधित पक्षकारों को सुने वसीयत के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह दोषपूर्ण है। अतः प्रकरण पुनः जॉच, साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपंजीकृत वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में नये सिरे से जॉच कर, पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29–09–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/15

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)